

या कायवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

04-01-2021

पत्रावली पेशी पर ली गयी। वकील  
वार्ड/शर्की को द्वारा प्रा.पत्र काद विज्ञे  
का पेशा भिजे जाने से पत्रावली तलब  
की गयी है। काद विज्ञे के प्रा.पत्र के  
आधार पर अल काद खासि ले हुआ है,  
अतः अब प्रा.पत्र अ-धा. 212 राज.  
काइतकारी आधि. का कोई औचित्य नहीं  
है। प्रा.पत्र शर्की का खासि किया जाना  
है। पत्रावली के तलब अनुसार लेकर नंबर  
से कम लेकर दाखिल दफतर से विज्ञे  
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
साँभर लोक

